राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.24(15)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 29.1.2013

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त विभागाध्यक्ष।

विषयः– भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार निवेदन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11.00 बजे देशभर में 2 मिनट का मौन रखा जाता है

(1) इस दिन को मनाये जाने के लिए निम्नलिखित स्थायी अनुदेश निर्धारित किये गये है।

(i) प्रति वर्ष 30 जनवरी को 11.00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए।

(ii) जहॉ–कहॉ उपलब्ध हो, दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए। दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना पूर्वाहन् 10:59 बजे से 11:00 बजे तक सायरन बजाकर दी जानी चाहिए और फिर दो मिनट बाद 11:02 से 11:03 बजे तक पुनः ऑल क्लीयर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहॉ सायरन उपलब्ध हो वहॉ यही कार्यविधि अपनाई जाए।

(iii) सिगनल (जहॉ उपलब्ध हों), सुनकर सभी व्यक्ति खडे हो जाएं और मौन धारण करें। मौन धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने कमरे में अथवा किसी दूसरे स्थान पर, अकेले खड़े होने के बजाए सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही स्थान पर इकट्ठे खड़े होना अधिक प्रभावशाली होगा। फिर भी यदि कार्य में अत्यधिक अस्त–व्यस्तता होने की आशंका हो तो सबको एक जगह एकत्रित किए जाने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो वहाँ पूर्वाह्न 11:00 बजे दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सभी संबंधितों का उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

(2) विगत में, यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है परन्तु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना अपने सामान्य रूप से अपने कामकाज में लगी रहती है। इसलिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे शहीद दिवस पर शहीदों के प्रति श्रद्धा–सम्मान की भावना को जागरूक करते हुए इस श्रद्धांजलि में जनता के प्रत्येक वर्ग की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इस प्रयोजनार्थ उनसे निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है :–

(i) शहीद दिवस को गंभीरतापूर्वक तथा उचित रूप से मनाए जाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए जाए। इस दिन के महत्व के बारे में भाषण और वार्ताएं आयोजित की जाए जिनमें भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाए। कठिनाई से प्राप्त की गई स्वतंत्रता की संरक्षा, सुरक्षा तथा समृद्धि के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य और नैतिक दायित्व को इन भाषणों एवं वार्ताओं का विषय बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना के संवर्धन तथा साझा उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया जा सकता है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें ऐसे सांस्कृतिक और/अथवा फिल्मों/वृत चित्रों का आयोजन कर सकती है जिनका मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की भूमिका और राष्ट्रीय एकता हो।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य और उद्योग संघों से भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाए कि उनके सदस्य, सम्बद्ध एसोसिएशनें तथा संगठन शहीद दिवस को उचित रूप से मनाएं।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय
3. अति0 मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. पंजीयक, सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव